नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 15 Jul 2025 - 15raj4
epaper.navabharat.news

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, साइबर एक्सपर्ट की कब तक होगी नियुक्ति?

प्रदेश में कोई साइबर साक्ष्य विशेषज्ञ नहीं, साइबर अपराध बढ़ रहे इसलिए नियुक्ति जरूरी

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर ।

प्रदेश में साइबर अपराध के प्रकरणों के लिए अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर पेश जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिविजन बेंच में सोमवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि कब तक नियुक्ति होगी।

चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि एक के बाद एक तीन चरणों को पूरा कर ही सायबर विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है। पहले चरण में फॉरेंसिक लैब की स्थापना है, इसके बाद अन्य दो चरणों के पूरे होने बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इस प्रक्रिया में सितंबर 2025 तक का समय लगेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र से कहा कि समाज की भलाई के लिए आपने एक संस्था बनाई है और आप उसका हेड बना रहे हैं, अगर उसकी नियुक्ति में इतनी जटिलताएं होंगी तो पूरा मामला ऐसा ही होगा। शिरीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है, यह नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आईटी अधिनियम राज्य के लिए धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई परीक्षक नहीं है, इस पद पर नियुक्ति की जाए।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है। साइबर अपराध हो रहे हैं, इसलिए ऐसे एक्सपर्ट की नियुक्ति बहुत जरूरी है, गंभीरता को समझकर तत्काल निर्णय लें। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के अनुरोध पर भारत संघ की एक टीम ने साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और उन्होंने कुछ कमियां बताईं थी। टीम द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर दिया गया है और केंद्र से अनुरोध किया गया है, वहीं तीन चरणों की प्रक्रिया में एक चरण को पूरा किया गया है और उसकी कुछ जानकारी बाकी है। मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को रखी गई है।